332

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 1997 (फाल्गुन 29, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रताप सिंह बघेल, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4-3-97 -आठ, दिनांक 6 फरवरी, 1997 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम पंचायत बासीन के पटवारी द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) चौधरी राकेश सिंह, श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण किये जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के मझगवां थानाकर्मियों द्वारा एक परिवार को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के सिंहपुर बांध की नहरों की मरम्मत व सफाई कार्य न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री मोतीलाल दवे, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री शिवप्रताप सिंह (गुना), सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य, विदिशा जिले की -

(क) बेतवा नदी को प्रदूषण मुक्त कराये जाने, तथा

(ख) ओड़ी नदी पर पुल बनाये जाने,

(2) श्री रामलखन सिंह (त्यौथर), सदस्य, रीवा जिले के ग्राम घटेहा में होम्योपैथी या आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

-2-

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 14 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 16 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 17 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 18 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री , मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 19 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 12 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) श्री प्रताप सिंह बघेल, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 13 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 15 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

(1) दिनांक 20 फरवरी, 1997 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (पंचायत विभाग) से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्रमांक 1426) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मदन गोपाल सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 20 फरवरी, 1997 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (पंचायत विभाग) से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 1178) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. रमन सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(3) दिनांक 17 फरवरी, 1997 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (अब चिकित्सा शिक्षा विभाग को अंतरित) से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 659) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. रमन सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(4) दिनांक 6 सितम्बर, 1996 को उप मुख्यमंत्री (राजस्व) से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 5346) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जगदीश देवड़ा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(5) दिनांक 17 फरवरी, 1997 को जनशक्ति नियोजन मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 78 (क्रमांक 3009) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मोती कश्यप, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 19 मार्च, 1997

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा